



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 60728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1136/2026

किशोर-एबी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : भुवनेश कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

दिनांक 23.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील किया गया था, लेकिन इस पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका बिजनौर बाल न्यायालय द्वारा वाद अपराध संख्या 219/2025 के अंतर्गत धारा 103(1), 3(5), 61(2), 238 बीएनएस पुलिस स्टेशन नूरपुर, जिला बिजनौर से उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 131/2025 (किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 19.01.2026 को पारित आदेश और बिजनौर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वाद संख्या 176/2025 (राज्य बनाम किशोर एबी) में दिनांक 11.11.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 17 वर्ष, 10 दिन और 2 दिन का किशोर था; वह 06.07.2025 से जिला जेल में है;

(ii) आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है;

(iii) पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता का नाम इस मामले में सामने आया;

(iv) डीएसपी की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(vi) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vii) याचिकाकर्ता अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में बंद रहा है;

(viii) सह-आरोपी आकाश, विशाल शर्मा और अमन, जो बालिग हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 44510/2025, 43190/2025 और 43479/2025 क्रमशः के मामलों में दिनांक 7.1.2026, 8.12.2026 और 10.12.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

(ix) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत परिकल्पित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

(x) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य के अधिवक्ता, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। उनका निवेदन है कि बताई गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी'।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विवादित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:-

- (i) क्या रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना है, या
- (ii) क्या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) क्या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी?

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि आवेदक घटना की तिथि पर नाबालिग था; डीपीओ के अवलोकन के आलोक में, वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहरा सके। आवेदक के पिता उसकी रिहाई पर उसकी सुरक्षा और कल्याण के संबंध में अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देते हैं।

उपरोक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत प्रदान करने के उद्देश्य से कानून में स्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। फलस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। दिनांकित आक्षेपित आदेश को **अपास्त** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **किशोर-एबी** को, उसके प्राकृतिक अभिभावक पिता श्री उमेश सिंह के माध्यम से, 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
- (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दें।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

24 मार्च, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।